उमंग सिंघार
नेता प्रतिपक्ष
मध्यप्रदेश विधान सभा

जावक क्र. 1890 /ने.प्र./2024

दिनांक. 21/03/25 . . 2024

प्रति,

श्रीमान् महानिदेशक,
आयकर विभाग,
भोपाल, मध्य प्रदेश

विषयः—गोविन्द सिंह राजपूत मंत्री म0प्र0 शासन के द्वारा लोकसेवक के पद पर रहते हुये भ्रष्टाचार कर अपने स्वयं एवं पत्नि तथा पुत्रों, रिश्तेदारो एवं अन्य लोगों के नाम से सैकडों एकड़ जमीन अवैध लेनदेन कर खरीदने एवं बेनामी अवैध संव्यहार की जॉच किये जाने एवं सम्पत्ति अटैच करने बावत्।

महोदय,

निवेदन है कि मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत द्वारा अपने लोकसेवक (मंत्री) पद का दुरूपयोग करते हुये अवैध रूप से अनुपातहीन संपत्ति संग्रह की है, जिसमें बेनामी धन का संव्यवहार किया जाकर अचल संपत्ति अर्जित किया गया है। जिसके प्रमाण सहित सम्पूर्ण विवरण आवश्यक जांच हेतु निम्नानुसार प्रस्तुत है –

- सागर जिले से लगे हुये शहरी क्षेत्र के ग्राम तिलीमाफी, बशियाभान्सा, कनेरादेव, भापेल, किर्रावदा, मारा इमलिया, पथरिया जाट, मेनपानी के साथ ही सागर से लगी हुई तहसील के अन्य ग्राम जैसीनगर, झिला, नरयावली, खुरई, भिलैया एवं जेरई में लगभग 150 एकड से अधिक भूमि अपनी पत्नि, पुत्रो, एवं स्वंय के नाम पर कय की गई है। जो रिकार्ड में दर्ज है। जिसका वास्तविक बाजार मूल्य लगभग 500 करोड रूपये से अधिक है। उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति उन्होने मंत्री रहते हुये एवं पद का दुरूपयोग कर किये गये भ्रष्टाचार से अर्जित की है।

(रजिस्ट्री/खसरा संलग्न फ्लैग–ए)

- इसके अतिरिक्त मंत्री गोविन्द राजपूत ने अपनी सास, साले एवं साले की पत्नी तथा अपने भाईयों एवं उनके परिवार, रिश्तेदारों के नाम से भापेल, लुहारी, दमोह जिले में देवरानवांसा, पथरिया में सैकड़ों एकड़ जमीने खरीदी हैं। इनका बाजार मूल्य 200 करोड़ है।

(रजिस्ट्री/खसरा संलग्न फ्लैग–बी)

- इनमें से कई जमीनों को सिंचित से असिंचित कराया गया। जिससे इन जमीनों का मूल्यांकन कम कर आधा दिखाया गया है। जिससे शासन के लाखों रूपये के स्टाम्प ड्यूटी की राशि चोरी की गई।

(रजिस्ट्री/खसरा संलग्न फ्लैग–सी)

कार्यालय आयकर महानिदेशक (अन्वेषण)
21 MAR 2025
Nitesh
भोपाल (म.प्र.)

बी–12(A), 74 बंगला, भोपाल (म.प्र.)–462003, मो.नं. 98260–40402, विधान सभा कार्या.–0755–2440205, भोपाल (नि.) 0755–2555145, 2559464
Email : umangsinghar@gmail.com, www.umangsinghar.com

उमंग सिंघार
नेता प्रतिपक्ष
मध्यप्रदेश विधान सभा

जावक क्र. 1890 /ने.प्र./2024
दिनांक 21/03/25 ... 2024

- मंत्री गोविन्द राजपूत द्वारा वर्ष 2023 के घोषणा पत्र में 58.22 हेक्टेयर (145.55 एकड़) जमीनें घोषित नहीं की गई। जिसकी अनुमानित लागत लगभग 350 करोड़ है।

(संलग्न सूची अनुसार रजिस्ट्री/खसरा फ्लेग– डी)

- मंत्री गोविन्द राजपूत ने भ्रष्टाचार की काली कमाई को खपाने के लिए एक फर्जी समिति बनाई जिसका नाम ज्ञानवीर सेवा समिति है। इस समिति में गोविन्द राजपूत की पत्नी सविता सिंह को अध्यक्ष एवं पुत्र आकाश सिंह को सचिव बनाया गया। जिसके माध्यम से इनके द्वारा बेनामी संपत्तियों की खरीद फरोख्त की गई है।
- इस समिति के माध्यम से सैकड़ों एकड़ वेशकीमती जमीनें खरीदी गई। जिसमें जमीनों को रिश्तेदारों के नाम से खरीदकर समिति को दान कराया गया। दान की गई जमीनों के दान दाताओं द्वारा इसके पहले न तो कोई जमीन खरीदी एवं न ही दान की गई।

(रजिस्ट्री/खसरा संलग्न फ्लैग–ई)

- मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने मनी लॉड्रिंग कर ससुराल वालों के नाम से जमीन क्रय कर स्वयं, पत्नी तथा पुत्रों के नाम दान कराई। उक्त संपत्ति को प्राप्त करने के पूर्व अवैध रूप से बेनामी संव्यवहार के रूप में अवैध अर्जित धन को ससुराल वालों के खाते में उक्त भूमि को खरीदने हेतु अंतरित किया गया। उक्त जमीनों को क्रय करने हेतु ज्ञानवीर सेवा समिति के बैंक खाते से गोविन्द राजपूत के भाई के समधी रामजी सिंह लुहारी के खाते में राशि ट्रांसफर की गई तत्पश्चात् रामजी सिंह लुहारी के खाते से गोविन्द राजपूत की सास लाड़कुवर सिंह तथा साला हिमाचल सिंह के खाते में राशि आंतरित की गई। जिसका प्रमाण रामजी लुहारी का बैंक खाता डिटेल संलग्न है।

(जानकारी संलग्न फ्लैग–ई–1)

- ज्ञानवीर सेवा समिति के नाम से शहरी क्षेत्र की वेशकीमती जमीनों को खरीद कर पुत्र के नाम से ग्रामीण क्षेत्र की जमीन से तबादला कर करोड़ों की हेराफेरी की है।

(रजिस्ट्री/खसरा संलग्न फ्लैग–ई–2)

- मंत्री राजपूत ने कई बेनामी संपत्तियां अपने मित्र तथा बिजनेस पार्टनर कमलेश बघेल और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह बघेल एवं इनकी कम्पनी शिवांश डिवलपर्स प्रा. लि. के नाम से क्रय की है। सागर शहर में बहुचर्चित सहारा समूह की वेशकीमती 100 एकड़ से अधिक भूमि गोविन्द राजपूत द्वारा इनके नाम पर क्रय की गई। जिसका बाजार मूल्य 600 करोड़ से भी अधिक है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहारा की संपत्ति से संबंधित याचिका में दिये गये आदेश एवं सेबी के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया गया है।

(रजिस्ट्री/खसरा संलग्न फ्लैग–एफ)

बी–12(A), 74 बंगला, भोपाल (म.प्र.)–462003, मो.नं. 98260–40402, विधान सभा कार्या.–0755–2440205, भोपाल (नि.) 0755–2555145, 2559464
Email : umangsinghar@gmail.com, www.umangsinghar.com

उमंग सिंघार
नेता प्रतिपक्ष
मध्यप्रदेश विधान सभा

जावक क्र. 1890 /ने.प्र./2024
दिनांक. 21/03/25 . . 2024

- प्रमाण के तौर पर कुछ जमीनों की रजिस्ट्री गोविन्द राजपूत ने कमलेश बघेल से अपने नाम कराई है।

(रजिस्ट्री/खसरा संलग्न फ्लैग–जी)

- मंत्री गोविन्द राजपूत ने दिल्ली की सबसे पॉश कॉलोनियों में से एक डिफेन्स कॉलोनी में I–177 बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर एवं टैरिस संजय श्रीवास्तव एवं उसकी पत्नी श्वेता श्रीवास्तव के नाम पर क्रय किया। गोविन्द राजपूत के परिवहन मंत्री के कार्यकाल में संजय श्रीवास्तव चेकपोस्ट को ठेके पर देने तथा विभागीय अधिकारियों की पोस्टिंग का कार्य करता था। उक्त संपत्ति को राजपूत द्वारा इनके माध्यम से दिनांक 1 अप्रैल 2024 को रूपये 20000000 (दो करोड़) में क्रय किया गया। जिसका बाजार मूल्य रूपये 12 करोड़ है।
- इसी बिल्डिंग I–177 में सुनीता तुमराम पत्नी वीरेश कुमार तुमराम (परिवहन अधिकारी) ने ग्राउंड एवं बेसमेंट दिनांक 26 मार्च 2024 को रूपय 20000000 (दो करोड़) में क्रय किया। जिसका बाजार मूल्य 12 करोड़ रूपये है। वीरेश तुमराम भी गोविन्द राजपूत के कार्यकाल में संजय श्रीवास्तव का सहयोगी रहा है।
- इसी बिल्डिंग I–177 में संजय डांडे जो कि संजय श्रीवास्तव का बिजनेस पार्टनर है। उनके द्वारा बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर दिनांक 7 मार्च 2024 रूपये 30000000 (तीन करोड़) में क्रय किया। जिसका बाजार मूल्य रूपये 15 करोड़ है। यह संपत्ति भी गोविन्द राजपूत द्वारा बेनामी क्रय की गई है।
- यह भी गौरतलव है कि उपरोक्त तीनों रजिस्ट्रियों में एक ही साक्षी मोनू सिंह है।

(तीनों रजिस्ट्री की कॉपी संलग्न है फ्लेग– एच)

- संजय श्रीवास्तव की पत्नी श्वेता श्रीवास्तव और संजय डांडे यह दोनों भुवनेश्वरी मल्टिमीडिया प्राइवेट लिमिटडे कम्पनी में डायरेक्टर है।

(जानकारी संलग्न है फ्लेग– आई)

- मंत्री गोविन्द राजपूत द्वारा सागर शहर से लगे हुए अपने गांव जेरई में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय संचालित है। इस विश्वविद्यालय की जमीन ज्ञानवीर सेवा समिति के माध्यम से खरीदी गई हैं।

  विश्वविद्यालय की भूमि क्रय एवं निर्माण के लिए ज्ञानवीर सेवा समिति के बैंक खातों में अवैधानिक राशियों का ट्रांजेक्शन किया गया है। विश्वविद्यालय के लिए छोटे–छोटे किसानों पर दबाव बनाकर जबरन जमीनें ली गई हैं।

बी–12(A), 74 बंगला, भोपाल (म.प्र.)–462003, मो.नं. 98260–40402, विधान सभा कार्या.–0755–2440205, भोपाल (नि.) 0755–2555145, 2559464
Email : umangsinghar@gmail.com, www.umangsinghar.com

उमंग सिंघार
नेता प्रतिपक्ष
मध्यप्रदेश विधान सभा

जावक क्र. 1890 /ने.प्र./2024
दिनांक 21/03/25 2024

- ऐसी कई जमीनें है जो कि गोविन्द राजपूत ने खरीद कर रजिस्ट्री तो करा ली है लेकिन शासकीय रिकार्ड में उनका नामांतरण नहीं कराया गया ताकि लोगों की जानकारी में न आ सके।

(संलग्न फ्लेग–जे)

- मंत्री गोविन्द राजपूत द्वारा स्वयं, परिवार, रिश्तेदारों, परिचितों तथा अन्य लोगों के माध्यम से खरीदी गई जमीनों के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बैंक खातों के ट्रांजेक्शन की जांच होने पर सारा घोटाला सामने आ जाएगा।

उपरोक्त भूमियों की कीमत लगभग 2000 करोड़ से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति का ब्यौरा है। जिससे संबंधित राजस्व रिकार्ड संलग्न किया गया है।

- ये उक्त जानकारी सिर्फ सागर शहर की जमीनों की है इसके अतिरिक्त गोविन्द राजपूत ने अन्य कई शहरों दिल्ली, मुम्बई, भोपाल, इंदौर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में भी अन्य लोगों के नाम से बेनामी सम्पत्तियां खरीदी गई हैं।
- गोविन्द राजपूत वर्ष 2019 से 2023 तक परिवहन एवं राजस्व विभाग के मंत्री रहे हैं तथा वर्तमान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं।

इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि गोविन्द सिंह राजपूत के द्वारा मंत्री पद में रहते हुए अपने प्रभाव का दुरूपयोग करके धन और अचल संपत्ति अर्जित किया गया। जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वर्णित समस्त सम्पत्तियां वर्ष 2019 से 2024 के मध्य क्रय की गई है। इस अवधि में गोविन्द सिंह राजपूत मध्यप्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री रहे हैं।

तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के कार्यकाल के दौरान मध्यप्रदेश में परिवहन चेक पोस्टो को ठेके पर नीलामी द्वारा प्राईवेट व्यक्तियों को दिये जाने की प्रथा प्रारंभ हुई।

- दिनांक 19 दिसम्बर 2024 को भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के निवास पर लोकायुक्त द्वारा रेड की गई, छापे के दौरान 2.87 करोड नगद 234 किलो चॉदी एवं 50 लाख के हीरे जवारात मिले। साथ ही एक इनोवा कार से 54 किलो सोना तथा 11 करोड़ नगद आयकर विभाग द्वारा जप्त किये गये, जो सौरभ शर्मा से ही जुडा मामला है।

बी–12(A), 74 बंगला, भोपाल (म.प्र.)–462003, मो.नं. 98260–40402, विधान सभा कार्या.–0755–2440205, भोपाल (नि.) 0755–2555145, 2559464
Email : umangsinghar@gmail.com, www.umangsinghar.com

उमंग सिंघार
नेता प्रतिपक्ष
मध्यप्रदेश विधान सभा

जावक क्र. 1890 /ने.प्र./2024
दिनांक. 21/03/25 2024

- तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविन्द राजपूत के भोपाल स्थित मंत्री निवास पर एक रैकेट कार्य कर रहा था, जिसका संजय श्रीवास्तव एडवोकेट डी. पी. पटेल (परिवहन अधिकारी 2022 में सेवानिवृत्त) अलीम खान (परिवहन अधिकारी 2023 में व्ही.आर.एस.) बीरेश तुमराम परिवहन अधिकारी ये लोग चेकपोस्टों को ठेके पर देने, ठेका बसूली से प्राप्त राशि को डिस्ट्रीव्यूशन का कार्य करते थे।
- पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा ने वर्ष 2022 में व्ही.आर.एस. ले लिया तत्समय उसके विरूद्व आर्थिक अपराध एवं आय से अधिक सम्पत्ति से संबंधित 70 से अधिक शिकायतें प्रचलित थी। किंतु मंत्री राजपूत के दबाव में उसका व्ही.आर.एस. स्वीकार किया गया।
- वर्ष 2019 से ही सौरभ शर्मा अपने साथियो के साथ मिलकर चेकपोस्टो को ठेके पर लेने का काम करने लगा था। इस कार्य में उसे मंत्री गोविन्द राजपूत का संरक्षण था। सौरभ शर्मा ने सारी संपत्ति वर्ष 2019 से 2024 के बीच खरीदी है। तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविन्द राजपूत ने भी इसी अवधि (2019–24) में स्वंय एवं परिवार के नाम से संपत्तियां खरीदी गई। इसके अतिरिक्त कई बेनामी सम्पत्तियों को भी क्रय किया गया। जो सौरभ शर्मा, कमलेश वघेल एवं उसकी पत्नि प्रतिभा वघेल के साथ शिवांश डेवलपर्स प्रा. लि., संजय श्रीवास्तव सुनीता तुमराम तथा संजय डांडे के नाम से सागर भोपाल दिल्ली रायपुर तथा प्रदेश एवं देश के विभिन्न शहरो में कय की गई।
- एक डायरी जांच एजंसियों को मिली है जो कि मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। इस डायरी में एक सूची दी गई है, जिसमें माह सितम्वर 2020 अगस्त 2021 जुलाई–अगस्त–सितम्वर– 2021 आर.टी.ओ. कार्यालयों से अवैध रूप से बसूली की जाने वाली राशि का उल्लेख है। इस डायरी के पृष्ठों में टी.सी./टी. एम. तथा टी. एम./टी.सी कोडवर्ड या शॉर्टफार्म में उल्लेखित है। जिसका स्पष्ट अर्थ "ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर" तथा "ट्रांसपोर्ट कमिश्नर" है। सिर्फ चार–छह पन्नों की सूची में ही लगभग 1500 करोड़ की काली कमाई का ब्यौरा दर्ज है। (डायरी के पन्नों की छाया प्रतियां संलग्न हैं।) जब यह डायरी प्रकाश में आई तब घोटाले से संबंधित तत्वों ने मीडिया के माध्यम से यह प्रचारित कराया कि यह डायरी फर्जी है। जबकि मैं दावे से कह सकता हूं कि ये डायरी असली है और इसमें लिखा हुआ विवरण एक पूर्व परिवहन अधिकारी दशरथ पटेल की लिखावट है, जिसकी जांच हेंड राईटिंग एक्सपर्ट से कराई जा सकती है।

(डायरी के पन्नों की छायाप्रतियां संलग्न हैं फ्लेग–के)

बी–12(A), 74 बंगला, भोपाल (म.प्र.)–462003, मो.नं. 98260–40402, विधान सभा कार्या.–0755–2440205, भोपाल (नि.) 0755–2555145, 2559464
Email : umangsinghar@gmail.com, www.umangsinghar.com

उमंग सिंघार
नेता प्रतिपक्ष
मध्यप्रदेश विधान सभा

जावक क्र. 1890 /ने.प्र./2024
दिनांक 21/03/25 2024

- यह गौर करने की बात है कि तत्कालीन केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी ने स्वयं अपने पत्र दिनांक 16/07/2022 के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, तत्कालीन चीफ सेकेटरी को लिखे गए पत्र में मध्यप्रदेश के परिवहन चेक पोस्टों पर "बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार" को रोकने के लिए सूचित किया था।

(पत्र संलग्न फ्लेग–एल)

- परिवहन घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मात्र एक मोहरा है। इस गिरोह के असली सरगना तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत हैं। संजय श्रीवास्तव, वीरेश तुमराम तथा संजय डांडे इनके सहयोगी के रूप में कार्य करते रहे हैं। इस तथ्य की जांच की जाए तो सारी कड़िया खुल जायेंगी।

  गोविन्द सिंह राजपूत चूंकि वर्तमान में मंत्री मध्यप्रदेश शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पद पर हैं। इनको केन्द्र की भाजपा सरकार एवं मध्यप्रदेश की सरकार का संरक्षण है।

  आपसे आग्रह है कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री के विरूद्ध निष्पक्ष जांच की जाकर विधिसंगत कार्यवाही करने तथा जांच होने तक संपत्ति की खरीदफरोख्त पर रोक लगाने का कष्ट करें।

भवदीय

(उमंग सिंघार)

बी–12(A), 74 बंगला, भोपाल (म.प्र.)–462003, मो.नं. 98260–40402, विधान सभा कार्या.–0755–2440205, भोपाल (नि.) 0755–2555145, 2559464
Email : umangsinghar@gmail.com, www.umangsinghar.com